प्रेस प्रकाशनी

फरवरी 2010

दि बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड पर दण्ड लगाया गया

25 फरवरी 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 47 क(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड पर 25.00 लाख रुपए (पच्चीस लाख रुपए मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। बैंक पर यह दण्ड (i) स्थावर संपत्ति के अधिग्रहण के संबंध में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35(क) के अंतर्गत जारी भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों का उल्लंघन करने, (ii) बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों में से रिकार्डों को नष्ट कर देने, (iii) कतिपय खातों को खोलने तथा उसे चालू रखने में अपने ग्राहक को जाने/धन शोधन निवारण दिशनिर्देशों का अनुपालन न करने, (iv) एक कॉर्पोरेट समूह के खातों को चलाने में अनियमितताओं के चलते तथा (v) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा माँगे गए कतिपय दस्तावेज़ों को उपलब्ध कराने में असफल रहने और यह कहना कि ऐसे दस्तावेज़ उपलब्ध ही नहीं हैं के कारण लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। बैंक से प्राप्त उत्तर के आधार पर रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त उल्लंघन सबित हो गया है और उस पर दंड लगाया जाना है। तदनुसार, बैंक पर दण्ड लगाया गया।

रिज़र्व बैंक ने इचलकरंजी अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि.,इचलकरंजी, कोल्हापुर, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया

23 फरवरी 2010

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इचलकरंजी अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., इचलकरंजी, कोल्हापुर, महाराष्ट्र

के अर्थक्षम नहीं रह जाने और महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से बैंक को पुनर्जीवित करने के प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होनेवाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 11 फरवरी 2010 को कारोबार की समाप्ति के बाद बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र राज्य से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेख किया जाता है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निपेक्ष बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) से सामान्य शर्तों और नियमों के अधीन 1,00,000 (एक लाख रुपये मात्र) रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार होता है।

लाइसेन्स रद्द किये जाने के अनुसरण में इचलकरंजी अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., इचलकरंजी, कोल्हापुर, महाराष्ट्र पर बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) के अंतर्गत जमारशियां स्वीकार करने और उन्हें वापस लौटाने सहित बैंकिंग कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि चाडचान श्री संगमेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.,चाडचान,कर्नाटक का लाइसेंस रद्द किया

16 फरवरी 2010

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दि चाडचान श्री संगमेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., चाडचान, कर्नाटक अर्थक्षम नहीं रह गया है और कर्नाटक सरकार के साथ सघन परामर्श से इसे पुनर्जीवित करने के सभी प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होने वाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 13फरवरी 2010 को कारोबार की समाप्ति के बाद बैंक का लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया। सहकारी समितियों के निबंधक, कर्नाटक से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) से 1,00,000 रुपये (एक लाख रुपये मात्र) की उच्चतम सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार होता है।

लाइसेंस रद्द होने के परिणामस्वरूप दि चाडचान श्री संगमेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., चाडचान, कर्नाटक पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) के अंतर्गत यथापरिभषित 'बैंकिंग व्यवसाय' करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जिसमें जमाराशियां स्वीकार करना और उन्हें वापस लौटाना भी शामिल है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने राजवाडे मंडल पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.,धुळे, जिला: धुळे, महाराष्ट्र का लाइसेंस के लिए आवेदन अस्वीकृत किया

10 फरवरी 2010

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राजवाडे मंडल पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.,धुळे, जिला: धुळे, महाराष्ट्र अर्थक्षम नहीं रह गया है और महाराष्ट्र सरकार के साथ परामर्श से उसे पुनर्जीवित करने के सभी प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होने वाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 जनवरी, 2010 को कारोबार की समाप्ति के बाद उक्त बैंक का लाइसेंस के लिए आवेदन अस्वीकृत करने का आदेश जारी किया। सहकारी समितियों के निबंधक, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक के परिसमापन और उसके लिए परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी

करें। उल्लेख किया जाता है कि बैंक के परिसमापन पर हर जमाकर्ता सामान्य शर्तों के अंतर्गत निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) से 1,00,000/- रुपये (एक लाख रुपये मात्र) की उच्चतम सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार होता है।

लाइसेंस के लिए आवेदन अस्वीकृत होने के परिणामस्वरूप राजवाडे मंडल पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., धुळे, जिलाः धुळे, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) के अंतर्गत यथापरिभषित 'बैंकिंग व्यवसाय' करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है जिसमें जमाराशियां स्वीकार करना और उनकी चुकौती भी शामिल है।

संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश : वेलस्पन इंडिया लिमिटेड

10 फरवरी 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि वेलस्पन इंडिया लिमिटेड संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत प्राथमिक बाज़ार और शेयर बाज़ारों के माध्यम से विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) द्वारा अपने ईक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद की सीमा को अपनी कुल चुकता पूँजी के 49 प्रतिशत तक बढ़ाने पर सहमत हो गया है। कंपनी ने ऐसा करने के लिए अपने निदेशक बोर्ड स्तर पर तथा अपने शेयरधारकों की वार्षिक आम सभा में संकल्प पारित किया है।

विदेशी संस्थागत निवेशक अब संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत वेलस्पन इंडिया लिमिटेड के ईक्विटी शेयर प्राथमिक बाज़ार और शेयर बाज़ारों के माध्यम से खरीद सकते हैं, बशर्ते किः

i. सभी विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा की जाने वाली कुल खरीद कंपनी की कुल चुकता ईक्विटी पूँजी और परिवर्तनीय डिबेंचरों की प्रत्येक श्रृंखला के कुल चुकता मूल्य के 49 प्रतिशत के संबंध में लागू समग्र उच्चतम सीमाओं से अधिक नहीं होनी चहिए।

ii. कंपनी में पंजीकृत किसी विदेशी संस्थागत निवेशक की किसी एकल विदेशी संस्थागत निवेशक/सेबी अनुमोदित उप खाते द्वारा ईक्विटी शेयरों की खरीद कंपनी की चुकता ईक्विटी पूँजी के 10% (दस प्रतिशत) से अधिक नहीं होनी चहिए।

संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश : मेसर्स सोभा डेवलपर्स लिमिटेड

5 फरवरी 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि मेसर्स सोभा डेवलपर्स लिमिटेड अपने ईक्विटी शेयरों की संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत प्राथमिक बाज़ार और शेयर बाज़ारों के माध्यम से विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) द्वारा ईक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद की सीमा को अपनी कुल चुकता पूँजी के 100 प्रतिशत तक बढ़ाने पर सहमत हो गया है। कंपनी ने ऐसा करने के लिए अपने निदेशक बोर्ड स्तर पर तथा अपने शेयरधारकों की असाधारण आम सभा में संकल्प पारित किया है।

विदेशी संस्थागत निवेशक अब संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत मेसर्स सोभा डेवलपर्स लिमिटेड के ईक्विटी शेयर प्राथमिक बाज़ार और शेयर बाज़ारों के माध्यम से खरीद सकते हैं, बशर्ते किः

i. सभी विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा की जाने वाली कुल खरीद की समग्र सीमा 100 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई है। 100 प्रतिशत की विदेशी संस्थागत निवेशकों की संशोधित सीमा कंपनी को लागू समग्र 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमा के भीतर होनी चहिए।

ii. कंपनी में पंजीकृत किसी विदेशी संस्थागत निवेशक की किसी एकल विदेशी संस्थागत निवेशक/सेबी अनुमोदित उप खाते द्वारा ईक्विटी शेयरों की खरीद कंपनी की चुकता ईक्विटी पूँजी के 10% (दस प्रतिशत) से अधिक नहीं होनी चहिए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि रायचूर जिला महिलापट्टना सहकारी बैंक नियामिता, रायचूर, कर्नाटक का लाइसेंस रद्द किया

4 फरवरी 2010

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दि रायचूर जिला महिलापट्टना सहकारी बैंक नियामिता, रायचूर, कर्नाटक अर्थक्षम नहीं रह गया है और कर्नाटक सरकार के साथ सघन परामर्श से इसे पुनर्जीवित करने के सभी प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होने वाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 जनवरी 2010 को कारोबार की समाप्ति के बाद बैंक का लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया। सहकारी समितियों के निबंधक, कर्नाटक से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) से 1,00,000 रुपये (एक लाख रुपये मात्र) की उच्चतम सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार होता है।

लाइसेंस रद्द होने के परिणामस्वरूप दि रायचूर जिला महिलापट्टना सहकारी बैंक नियामिता, रायचूर, कर्नाटक पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) के अंतर्गत यथापरिभाषित 'बैंकिंग व्यवसाय' करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जिसमें जमाराशियां स्वीकार करना और उन्हें वापस लौटाना भी शामिल है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और आवास वित्त कंपनियों को दी गई अल्पावधि विदेशी मुद्रा ऋण सुविधा हटाई

3 फरवरी 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जमाराशियाँ स्वीकार न करनेवाली प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी-एसआइ) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को उपलब्ध कराई गई अल्पावधि विदेशी मुद्रा उधार सुविधा तत्काल प्रभाव से हटा दी है। यह निर्णय मौजूदा समष्टि अर्थिक स्थितियों और घरेलू ऋण चलनिधि स्थितियों में सुधारों की समीक्षा करने के बाद लिया गया।

रिज़र्व बैंक ने एक अस्थायी उपाय के रूप में जमारशियाँ स्वीकार न करनेवाली प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनडीएफसी-एनडी-एसआइ) को 31 अक्टूबर 2008 को और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को 17 नवंबर 2009 को अपने अल्पावधि देयताओं का पुनर्वित्त करने के लिए अधिकतम निवल स्वाधिकृत निधियों (एनओएफ) के 50 प्रतिशत अथवा 10 मिलियन अमरीकी डॉलर जो भी अधिक हो, की अल्पावधि विदेशी मुद्रा करेंसी उधार को उगाहने की अनुमति दी थी। इन कंपनियों को यह सुविधा अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत कतिपय शर्तों के अधीन दी गई थी।

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए निम्नलिखित कंपनियों, जिनका पता उनके नाम के सामने दर्शाया गया है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियाँ गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

क्र. सं.	प्रेस प्रकाशनी सं.	कंपनी का नाम	पंजीकृत कार्यालय का पता	पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख
1	09 फरवरी 2010	मेसर्स, पास्को मोटर ट्रेंडर्स एंड फानेंसियर्स (पी) लि.	पास्को हाउस, 177 ई इंडस्ट्रियल एरिया, चंडीगढ़	25 नवंबर 2009
2	09 फरवरी 2010	मेसर्स, करम चंद थापर एंड बद्रर्स लिमिटेड	थापर हाउस, 124, जनपथ नई दिल्ली-110 001.	7 जनवरी 2010
3	02 फरवरी 2010	शेयर एंड केयर रिसॉर्ट एंड मार्केटिंग (इंडिया) लिमिटेड	407, हिल व्यू इंडस्ट्रियल इस्टेट, एलबी एस मार्ग, घाटकोपर (पश्चिम), मुंबई - 400 086.	25 नवंबर 2009
4	02 फरवरी 2010	परिजात शिपिंग एण्ड फ्नाले लिमिटेड	परिजात हाउस, दूसरी मंज़िल, 1076 डॉ. ई. मोजेस रोड, मुंबई - 400018	23 नवंबर 2009
5	02 फरवरी 2010	इंड फाइनेंस एण्ड सिक्युरिटीज ट्रस्ट प्राइवेट लिमिटेड	404,ए.एन. चेंबर्स, टर्नर रोड, बांद्रा (पश्चिम) मुंबई - 400 050	02 दिसंबर 2009
6	02 फरवरी 2012	ए.डी. कॉटन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	86, अरकेडीया, 8वी मंज़िल, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021	12 दिसंबर 2009
7	02 फरवरी 2013	इंडुकॉन इंडिया लिमिटेड	63/69, नागदेवी क्रॉस लेन, पहली मंज़िल, रुम नं. 6, मुंबई-400 003	08 दिसंबर 2009
8	02 फरवरी 2014	कॅप्रीकॉन इनफ्ना प्राइवेट लिमिटेड	शॉप नं. 4, आर.एस.के. अपार्टमेंट, आयसी कॉलनी, बोरिवली, मुंबई-400 103.	08 दिसंबर 2009
9	02 फरवरी 2015	धामरीया फाइनेंसियल सर्विसेस लिमिटेड	18/22, झवेरी बाजार, पहली मंज़िल, कॉटन एक्सचेंज भवन के पास, मुंबई - 400 002	08 दिसंबर 2009
10	02 फरवरी 2016	जी एम सोमजी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड	14-15, युनायटेड अपार्टमेंट, 2407 ईस्ट स्ट्रीट, पुणे - 411 001	08 दिसंबर 2009
11	02 फरवरी 2017	उदगीर्स धनलक्ष्मी फाइनेंस एण्ड लिजींग प्राइवेट लिमिटेड	मयुर निवास, श्रीनगर कॉलनी, बीदर रोड, उदगीर - 413 512	14 दिसंबर 2009
12	02 फरवरी 2018	एस.जे. सिक्यूरिटीज लिमिटेड	317, तीसरी मंज़िल, लोहा भवन, पुराना हाइ कोर्ट के पास, आश्रम रोड, अहमदाबाद - 380 009	14 दिसंबर 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।